...यालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 206/2019

GCMS NO. : 2019/00238

-: वादी:-

1. भोलानाथ पुत्र लाबुनाथ फौत के का0मु0
   1/1. मैनादेवी पत्नी भोलानाथ
   1/2. धर्मनाथ पुत्र भोलानाथ
   1/3. मदननाथ पुत्र भोलानाथ
   1/4. सुन्दरनाथ पुत्र भोलानाथ
   1/5. रेखादेवी पुत्री भोलानाथ
   1/6. भंवरी पुत्री पुत्र भोलानाथ

समस्त जातियान- नाथ,
निवासीगण- आकेली तहसील-
रायपुर जिला- पाली राजस्थान।

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. तहसीलदार एवं उप अधिकारी तहसील- जैतारण जिला- पाली।
2. गोरखनाथ पुत्र लाबुनाथ
3. गुलाबनाथ पुत्र लाबुनाथ
4. संजयनाथ पुत्र लाबुनाथ के का0मु0
   4/1. तोला पत्नी संजयनाथ
   4/2. सोमनाथ पुत्र संजयनाथ
   4/3. पुजा पुत्री संजयनाथ
   4/4. उमा पुत्री संजयनाथ
   4/5. सपना पुत्री संजयनाथ
   4/6. सुमन पुत्री संजयनाथ
5. मोहनी पत्नी पोकरनाथ
6. रविन्द्र नाथ पुत्र पोकरनाथ
7. चेतन पुत्री पोकरनाथ
8. पिन्कु पुत्री पोकरनाथ
9. कृपा पुत्री पोकरनाथ
10. सुगना पत्नी अमरनाथ
11. महेन्द्रनाथ पुत्र अमरनाथ
12. लेहरीनाथ पुत्र अमरनाथ
13. ललिता पुत्री अमरनाथ
14. संगीता पुत्र अमरनाथ

समस्त जातियान- नाथ,
निवासीगण- आकेली तहसील-
रायपुर जिला- पाली राजस्थान।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त. अधिनियम, 1955 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अभिनियम 1956 **तारीख रजू:.16/10/2019**

उपस्थितः- 1. श्री अरुणसिंह राठौड़, अधिवक्ता वादी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण व सर.पैरो.तहसीलदार,जैतारण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 08/03/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956. के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा खेडा देवगढ पटवार हल्का द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक ... तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा संख्या 1793 ... भूमि आई हुई है। जिसमे वादीगण अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है। उक्त आराजी के संवत 2024 से 2027, 2028 से 2031 के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे वादीगण संख्या 1/1 के पति व वादीगण संख्या 1/2 से लगायत 1/6 के पिता का नाम भोलानाथ पुत्र लाबुनाथ दर्ज है जो सही व सत्य है। क्योंकि वादीगण संख्या 1/1 के पति व वादीगण संख्या 1/2 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

के पिता भोलानाथ के पिता का नाम लाबुनाथ ही है। जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 ने राजस्व अधिकारीयो ने वादीगण संख्या 1/1 के पति व वादीगण संख्या 1/2 से 1/6 के पिता का नाम भोलानाथ, पोकरनाथ के बीच पुत्र दर्ज किया गया फिर उसे काट दिया उसके पश्चात बनी समस्त जमाबन्दीयों मे वादीगण संख्या 1/1 के पति व वादीगण संख्या 1/6 के पिता का नाम भोलानाथ पुत्र पोकरनाथ दर्ज कर दिया गया जो एक रोंग एन्टी है। जबकि यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भोलानाथ व पोकरनाथ भाई है दोनो नामो के बीच मात्र S/0 शब्द आ जाने से आगे की समस्त जमाबन्दीयो मे वादीगण संख्या 1/1 के पति व वादीगण संख्या 1/2 से 1/6 के पिता भोलानाथ के पिता का नाम पोकरनाथ नही होकर वादीगण संख्या 1/1 के पति व वादीगण संख्या 1/2 से 1/6 के पिता भोलानाथ के पिता का सही व वास्तविक नाम लाबुनाथ है जो वादीगण संख्या 1/1 के पति व वादीगण संख्या 1/2 से 1/6 के पिता भोलानाथ के समस्त सरकारी अर्द्धसरकारी दस्तावेजात मे नाम भोलानाथ पुत्र लाबुनाथ दर्ज रेकर्ड है। जिसकी प्रतियां वादपत्र के साथ संलग्न है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे इस प्रकार वर्णित राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्टी है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड मे चल रही है तथा तथा इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 27/05/2019 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्टी को न्यायालय से दुरुस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध मे वादीगण संख्या 1/1 के पति व वादीगण संख्या 1/2 से 1/6 के पिता ने अपने जीवित काल मे पैतृक पुश्तैनी सम्पति मे उक्त रोग एन्टी एवं रेकर्ड दुरुस्त करवाने के अधिकारी होने से वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया। यह है कि वादीगण संख्या 1/1 के पति व वादीगण संख्या 1/2 से 1/6 के पिता का नाम जो राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज किया गया है उसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड मे वादीगण संख्या 1/1 के पति व वादीगण संख्या 1/2 से 1/6 के पिता का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम भोलानाथ पुत्र लाबुनाथ से दर्ज करने एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी होने से उक्त वादपत्र श्रमान के समक्ष पेश किया। वादीगण को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेसानीयो का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं से फायदा नही उठा पा रहे है, न ही ऋण आदि व किसान कार्ड बन रहा है। जिस पर सहखातेदारी से सम्पर्क किया तो उन्होंने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का कथन किया इसलिए सहखातेदारी के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है। उक्त भूमि के सहखातेदार होने से प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है इनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस अवधि मे [illegible] तब क वादपत्र करने का मकसद ही विफल हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस [illegible] के वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति यावत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र मूल वाद के साथ वादीगण संख्या 1/1 के पति व वादीगण संख्या 1/2 से 1/6 के पिता ने पेश कर दिया था। बिनाय वाद दिनांक 27/05/2019 को वादीगण संख्या 1/1 के पति व वादीगण संख्या 1/2 से 1/6 के पिता द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरुस्त करने एवं उक्त रोग एन्टी हटाने का कथन करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

...ड़ तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 से 14 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण जवाबदावा पेश नहीं करना चाहते, जवाब दावा बन्द किया जाता है। सरकारी पैरोकार ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 107 मे खसरा संख्या 1793 रकबा 10-19 बीघा में खातेदार भोलानाथ, अमरनाथ, गोरखनाथ, गुलाबनाथ, संजयनाथ पि0 लाबुनाथ, भोलानाथ पुत्र पोकरनाथ, अमरनाथ पुत्र लाबुनाथ कौम नाथ साकिन आकेली दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1793 रकबा 10-19 बीघा में लाबुनाथ वल्द काननाथ, भोलानाथ, पोकरनाथ, अमरनाथ पिता लाबुनाथ कौम नाथ साकिन आकेली खातेदारान् दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1793 रकबा 10-19 बीघा में लाबुनाथ पुत्र काननाथ, भोलानाथ पुत्र पोकरनाथ, अमरनाथ पुत्र लाबुनाथ कौम नाथ खातेदार दर्ज कर दिया गया जो गलत है। जमाबन्दी के अनुसार पोकरनाथ एवं भोलानाथ भाई है जिनके पिता का नाम लाबुनाथ है। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। पत्रावली का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजी ग्राम खेड़ा देवगढ़ तहसील जैतारण में खसरा संख्या 1793 रकबा 10-19 बीघा कृषि भूमि में सम्वत् 2024-2027 व 2028 से 2031 की जमाबन्दी में वादीगण संख्या 01 के पति एवं वादीगण संख्या 1/2 से 1/6 के पिता का नाम भोलानाथ पुत्र लाबूनाथ दर्ज है जो सही है।

2. जमाबन्दी सम्वत् 2032-2035 में राजस्व अधिकारीयों ने वादी संख्या 01/1 के पति एवं वादीगण संख्या 1/2 से 1/6 के पिता का नाम भोलानाथ, पोकरनाथ के बीच पुत्र दर्ज किया फिर उसे काट दिया तथा उसके तत्पश्चात् उसके बाद बनी समस्त जमाबन्दीयों में वादी संख्या 1/1 के पति एवं वादी संख्या 1/2 से 1/6 के पिता का नाम भोलानाथ पुत्र पोकरनाथ दर्ज कर दिया गया जो कि एक गलत प्रविष्टि है क्योंकि भोलानाथ एवं पोकरनाथ दोनों भाई है, न की पिता-पुत्र। अतः भू अभिलेख में दर्ज गलत प्रविष्टि को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर रेकर्ड दुरूस्त कर वास्तविक दस्तावेजी नाम भोलानाथ पुत्र लाबुनाथ दर्ज किए जाने कि घोषणा की जावे।

3. प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने की प्रार्थना की, जवाब प्रतिवादी बन्द किया गया।

4. न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली एवं वादपत्र का अवलोकन कर प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए वादीगण को दिनांक 2.2.2022 को निर्देशित किया कि वे वादग्रस्त आराजी के सभी सहखातेदारान् के ... व वास्तविक हक हिस्सा मृतक खातेदारान् लाबुनाथ के वारिसान के हिस्से सहित पृथक-पृथक हिस्से की सूचना शपथ पत्र पर प्रस्तुत करे, की पालना में वादीगण द्वारा दिनांक 23.02.2022 को सोमनाथ पुत्र संजयनाथ, वादी धर्मनाथ पुत्र भोलानाथ, वादीया मैना देवी पत्नी भोलानाथ, वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

[illegible]नाथ पुत्र भोलानाथ एवं प्रतिवादी लहरीनाथ पुत्र अमरनाथ के शपथ पत्र प्रस्तुत किए [illegible] शामिल पत्रावली किए गए। जिनके अनुसार वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा खातेदार लाबुनाथ के वारिसान का व शेष 1/2 हिस्सा खातेदार भोलानाथ, अमरनाथ व पोकरनाथ का है। वादीगण भोलानाथ पुत्र लाबुनाथ के वारिसान है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण लाबुनाथ के वारिसान है।

5. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के अनुसार जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 107 मे खसरा संख्या 1793 रकबा 10-19 बीघा में खातेदार भोलानाथ, अमरनाथ, गोरखनाथ, गुलाबनाथ, संजयनाथ पि0 लाबुनाथ, भोलानाथ पुत्र पोकरनाथ, अमरनाथ पुत्र लाबुनाथ साकिन आकेली दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1793 रकबा 10-19 बीघा में लाबुनाथ वल्द काननाथ, भोलानाथ, पोकरनाथ, अमरनाथ पिता लाबुनाथ कौम नाथ खातेदारान् दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1793 रकबा 10-19 बीघा में लाबुनाथ पुत्र काननाथ, भोलानाथ पुत्र पोकरनाथ, अमरनाथ पुत्र लाबुनाथ कौम नाथ खातेदार दर्ज कर दिया गया जो गलत है। जमाबन्दी के अनुसार पोकरनाथ एवं भोलानाथ भाई है जिनके पिता का नाम लाबुनाथ है।

6. साक्ष्यवादी में वादी सुन्दरनाथ द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु 1में साक्ष्य द्वारा वादपत्र में अंकित कथनो व तथ्यो का समर्थन किया है। प्रदर्श 3ए भोलानाथ का परिवार राशन कार्ड जिसमें भोलानाथ के पिता का नाम लाबुनाथ अंकित है। प्रदर्श 2ए भोलानाथ का आधार कार्ड जिसमें भोलानाथ के पिता का नाम लाबुनाथ अंकित है। वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी ग्राम खेड़ा देवगढ संवत 2075 से 2078 प्रदर्श 4, जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 से प्रदर्श 5, जमाबन्दी संवत 2067-2070 प्रदर्श 6, जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 प्रदर्श 7, जमाबन्दी संवत 2059 से 2062 प्रदर्श 8, में भोलानाथ, पोकरनाथ, अमरनाथ, गुलाबनाथ, गोरखनाथ, संजयनाथ पि. लाबुनाथ, भोलानाथ s/o पोकरनाथ, अमरनाथ s/o लाबुनाथ बतौर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 9 जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 में लाबु पुत्र काननाथ, भोलानाथ पुत्र पोकरनाथ, अमरनाथ पुत्र लाबुनाथ दर्ज है। प्रदर्श 10 ग्राम निमाज की खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2031 में वादग्रस्त आराजी उम्मेदसिंह वल्द पृथ्वीसिंह खुदकाश्त दर्ज है। प्रदर्श 11 जमाबन्दी संवत 2024 से 2027 में वादग्रस्त आराजी लाबुनाथ वल्द काननाथ, भोलानाथ, अमरनाथ, पोकरनाथ पि. लाबुनाथ कौम नाथ साकिन आकेली दर्ज है। प्रदर्श 12 जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 में लाबुनाथ वल्द काननाथ, भोलानाथ, अमरनाथ, पोकरनाथ पि. लाबुनाथ दर्ज है। प्रदर्श 13 जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 में लाबुनाथ s/o काननाथ, भोलानाथ s/o पोकरनाथ, अमरनाथ पि. लाबुनाथ दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में संवत् 2028 से 2031 की जमाबन्दी में खातेदार के रूप में लाबुनाथ वल्द [illegible] के तीन अन्य पुत्र क्रमशः भोलानाथ, पोकरनाथ, अमरनाथ पि. लाबुनाथ बतौर खातेदार दर्ज रहे परन्तु आगामी जमाबन्दी तैयार करते समय त्रुटि[illegible] पोकरनाथ जो कि परस्पर भाई है कि प्रविष्टियो के मध्य s/o लिखकर इन्हे [illegible] व पिता बना दिया गया तथा यह त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां आगामी जमाबन्दियो में निरन्तर चलती रही। चूंकि वादग्रस्त आराजी के आंरभिक भू अभिलेख से सहखातेदारान् का हिस्सा दर्ज नही रहा है जिसके संबंध में वादी धर्मनाथ, मैनादेवी व सुन्दरनाथ तथा प्रतिवादी संजयनाथ के पुत्र सोमनाथ व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादी लहरीनाथ द्वारा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह स्पष्ट किया है कि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा लाबुनाथ का एवं शेष 1/2 हिस्सा भोलानाथ, पोकरनाथ, अमरनाथ का रहा है। अतः इनके वारिसान का हिस्सा इसी अनुरूप व इसी अनुपात में विभाजित किया जाना विधिसंगत होगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी में खातेदार भोलानाथ के पिता का सही नाम लाबुनाथ है तथा भोलानाथ पुत्र पोकरनाथ एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है जिसे विलोपित किया जाकर भोलानाथ पुत्र लाबुनाथ दर्ज किया जाना तथा लाबुनाथ के 1/2 हिस्से को लाबुनाथ के सभी वारिसान् क्रमशः भोलानाथ, पोकरनाथ, अमरनाथ, संजयनाथ, गोरखनाथ व गुलाबनाथ में एक समान 1/12-1/12 हिस्सा एवं शेष 1/2 हिस्सा भोलानाथ, पोकरनाथ व अमरनाथ के मध्य 1/6-1/6 हिस्सा दर्ज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप सम्पूर्ण खाते में भोलानाथ, पोकरनाथ, अमरनाथ प्रत्येक का कुल हिस्सा क्रमशः 1/12 , 1/6 = 1/4 बनता है। अतः भोलानाथ के वारिसान का 1/4, पोकरनाथ के वारिसान का 1/4, अमरनाथ के वारिसान का 1/4 तथा गोरखनाथ का 1/12, संजयनाथ का 1/12 एवं गुलाबनाथ का 1/12 हिस्सा दर्ज किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम खेड़ा देवगढ पटवार हल्का निमाज द्वितीय तहसील जैतारण के खसरा संख्या 1793 रकबा 10-19 बीघा किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार दर्ज वादी संख्या 1/1 के पति एवं वादी संख्या 1/2 से 1/6 के पिता भोलानाथ के पिता का नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"पोकरनाथ"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***"लाबुनाथ"*** दर्ज किया जाता है। सहखातेदारान् के हिस्से की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टिया निम्नानुसार शुद्ध की जाकर प्रतिस्थापित की जाती है- भोलानाथ पुत्र लाबुनाथ हिस्सा 1/4, पोकरनाथ पुत्र लाबुनाथ हिस्सा 1/4, अमरनाथ पुत्र लाबुनाथ हिस्सा 1/4, गोरखनाथ पुत्र लाबुनाथ हिस्सा 1/12, संजयनाथ पुत्र लाबुनाथ हिस्सा 1/12, गुलाबनाथ पुत्र लाबुनाथ हिस्सा 1/12, खातेदार भोलानाथ, अमरनाथ, पोकरनाथ के नाम की दोहरी प्रविष्टियां विलोपित करते हुए उपरोक्त हिस्से अनुसार खातेदारान् के नाम की एक ही प्रविष्टि अंकित की जावे। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 08/03/2022 को खुले-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादीः-

1. भोलानाथ पुत्र लाबुनाथ फौत के का0मु0
   1/1. मैनादेवी पत्नी भोलानाथ
   1/2. धर्मनाथ पुत्र भोलानाथ
   1/3. मदननाथ पुत्र भोलानाथ
   1/4. सुन्दरनाथ पुत्र भोलानाथ
   1/5. रेखादेवी पुत्री भोलानाथ
   1/6. भंवरी पुत्री पुत्र भोलानाथ

समस्त जातियान- नाथ, निवासीगण- आकेली तहसील- रायपुर जिला- पाली राजस्थान।

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. तहसीलदार एवं उप अधिकारी तहसील- जैतारण जिला- पाली।
2. गोरखनाथ पुत्र लाबुनाथ
3. गुलाबनाथ पुत्र लाबुनाथ
4. संजयनाथ पुत्र लाबुनाथ के का0मु0
   4/1. तोला पत्नी संजयनाथ
   4/2. सोमनाथ पुत्र संजयनाथ
   4/3. पुजा पुत्री संजयनाथ
   4/4. उमा पुत्री संजयनाथ
   4/5. सपना पुत्री संजयनाथ
   4/6. सुमन पुत्री संजयनाथ
5. मोहनी पत्नी पोकरनाथ
6. रविन्द्र नाथ पुत्र पोकरनाथ
7. चेतन पुत्री पोकरनाथ
8. पिन्कु पुत्री पोकरनाथ
9. कृपा पुत्री पोकरनाथ
10. सुगना पत्नी अमरनाथ
11. महेन्द्रनाथ पुत्र अमरनाथ
12. लेहरीनाथ पुत्र अमरनाथ
13. ललिता पुत्री अमरनाथ
14. संगीता पुत्र अमरनाथ

समस्त जातियान- नाथ, निवासीगण- आकेली तहसील- रायपुर जिला- पाली राजस्थान।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 206/2019

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री अरूण सिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व रामस्वरूप चौधरी तथा पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम खेड़ा देवगढ पटवार हल्का निमाज द्वितीय तहसील जैतारण के खसरा संख्या 1793 रकबा 10-19 बीघा किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार दर्ज वादी संख्या 1/1 के पति एवं वादी संख्या 1/2 से 1/6 के ... भोलानाथ के पिता का नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"पोकरनाथ"*** को वि... स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***"लाबुनाथ"*** दर्ज किया जाता है। ... के हिस्से की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टिया निम्नानुसार शुद्ध की जाकर प्रतिस्थापित की जाती है:- भोलानाथ पुत्र लाबुनाथ हिस्सा 1/4, पोकरनाथ पुत्र लाबुनाथ हिस्सा 1/4, अमरनाथ पुत्र लाबुनाथ हिस्सा 1/4, गोरखनाथ पुत्र लाबुनाथ हिस्सा 1/12, संजयनाथ पुत्र लाबुनाथ हिस्सा 1/12, गुलाबनाथ पुत्र लाबुनाथ हिस्सा 1/12, खातेदार भोलानाथ, अमरनाथ, पोकरनाथ के नाम की दोहरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

...ष्टियां विलोपित करते हुए उपरोक्त हिस्से अनुसार खातेदारान् के नाम की एक ही ...विष्टि अंकित की जावे। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–..... .फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/03/2022 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	08-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	05-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	15-00	मिजानः–	–Nil–

नोटः– इस खर्चे के फ़ार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:24 IST
Reason: SelfAttested